न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 10 / 2018

दीवानसिंह आयु 33 साल पुत्र मूलचन्द जाति कुशवाह निवासी ग्रांम सिरसौंदा तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–खूवी । पुत्रान नेकराम
2–मुन्ना ।
3–बुद्धी पत्नी नेकराम
4–ताराचन्द पुत्र मंगला
5–हुकमसिंह पुत्र मंगला
6–नथुआ पुत्र स्व. भगवानसिंह
7–तेजसिंह पुत्र स्व. भगवानसिंह
8–अतरसिह पुत्र छत्तू
9–निहालसिंह पुत्र छत्तू

अकबाम कुशवाह निवासी ग्रांम सिरसौंदा तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 24व्यवहार प्रकिया संहिता वमुकदमे दीवानी माल संख्या 11 / 17 दीवानसिह बनाम खूवी वगे0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपवास

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 17.4.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी एक दावा उपखण्ड अधिकारी रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। अप्रार्थी0 ने तारीख पेशी दिनांक 13.12.2017 को कहा है कि प्रकरण एस.डी.ओ. साहब से बातचीत हो गई है प्रकरण हमारे पक्ष में फैसल होगा। प्रार्थी को एस.डी.ओ. रुपवास से न्याय की आशा नहीं है। एसडीओ रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय हित में आवश्यक हो गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। एस.डी.ओ.रुपवास से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ.रुपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि एसडीओ रुपवास न्यायालय में विचाराधीन है। तहत न्यायालय में तारीख पेशी के दौराने अप्रार्थी0 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर निकल कर आये और प्रार्थी से कहा कि एसडीओ साहब से बातचीत हो गई है, विचाराधीन प्रकरण हमारे पक्ष मे फेसल होगा। प्रार्थी को एस.डी.ओ. रुपवास से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थी ने गलत आरोप लगाये हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ.रुपवास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने न्याय के प्रति शंका जाहिर की है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। एस.डी.ओ.रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन दावा दीवान सिह बनाम खूवी वगै0 संख्या 11/17 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के यहॉ मुन्तकिली किया जाता है। निर्णय की प्रति एस.डी.ओ.रुपवास एवं एस.डी.ओ. बयाना को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.4.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर